



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीड मॉडल

प्रलिस के लयः

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीड मॉडल

मेन्स के लयः

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कसलनों के लयः महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के 'बीड मॉडल' के राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लयः कहा ।

प्रमुख बडुः

बीड मॉडलः

- बीड महाराष्ट्र का एक जललः है जो सुखाग्रस्त मराठवाडा क्षेत्र में स्थतलः है ।
- **80-110 फॉर्मूलाः** इस मॉडल को 80-110 फॉर्मूला भी कहा जाता है ।
 - बीमा फर्म को सकल प्रीमयलः के 110 प्रतशलः से अधकलः के ढावों पर वचलः करने की आवश्यकता नहीं है । बीमाकर्त्ता को नुकसान (पुल राशलः) से बचाने के लयः एकत्र कयलः गए प्रीमयलः के 110 प्रतशलः से अधकलः मुआवजे की लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी ।
 - हालाँकलः यदलः मुआवज़ा एकत्र कयलः गए प्रीमयलः से कम है तो बीमा कंपनी राशलः का 20% हैंडलगलः शुल्क के रूप में रखेगी और शेष राशलः राज्य सरकार (प्रीमयलः अधशलः) को प्रतपूरत करेगी ।

इस मॉडल को लागू करने का कारणः

- **राज्यों को लाभः**
 - **फंड का एक अन्य स्रोतः** अधकलः वर्षों में क्लेम-टू-प्रीमयलः अनुपात कम होता है । बीड मॉडल में बीमा कंपनी के लाभ में कमी आने की उम्मीद है और राज्य सरकार को धन के दूसरे स्रोत तक पहुँच प्राप्त होगी ।
 - **PMFBY के वतलःपोषण बोझ को कम करनाः** प्रतपूरतकी गई राशलः से अगले वर्ष के लयः राज्य ढ्वारा PMFBY हेतु कम बजटीय प्रावधान हो सकता है, या एक वर्ष के फसल के नुकसान के मामले में राशलः का भुगतान करने में मदद मलः सकती है ।
- **PMFBY में खामयलः**
 - वतलः संकट से जूझ रहे राज्यों ने PMFBY हेतु प्रीमयलः बलः जमा करने के लयः वर्षों से असहमतलः जतलः है, जसलः के परणलःमस्वरूप बीमाकर्त्ता समय पर कसलनों के ढावों का भुगतान नहीं कर रहे हैं ।
 - वर्ष 2020 में मध्य महाराष्ट्र के बीड जलःलः में सामान्य से कम मानसून की वर्षा ने बीमाकर्त्ताओं को खरीफ 2020 हेतु PMFBY के तहत जलःलः के कसलनों को कवर करने से रोक ढवलः ।

चुनौतयलः

- इस पर सवाल उठ रहा है कलः राज्य सरकार अतरकलः राशलः कैसे जुटाएगी और प्रतपूरतकी गई राशलः को कैसे प्रशासतलः कयलः जाएगा ।
- कसलनों को इस मॉडल का कोई सीधा लाभ होता नहीं ढखलः रहा है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः

- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च कयलः गया था ।

- यह फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।
- **दायरा:** सभी खादय और तलहिन फसलें तथा वार्षिक वाणज्यिक/बागवानी फसलें जिनके लिये पछिली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।
- **प्रीमियम:** सभी खरीफ फसलों के लिये किसानों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है। वार्षिक वाणज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम 5% है।
 - किसानों के हिससे से अधिक प्रीमियम लागत पर राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सब्सिडी दी जाती है।
 - हालाँकि भारत सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रीमियम सब्सिडी का 90% साझा करती है।
- **PMFBY 2.0 (PMFBY को वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न में नया रूप दिया गया था):**
 - **पूरी तरह से स्वैच्छिक:** वर्ष 2020 से पहले यह योजना उन किसानों के लिये वैकल्पिक थी, जिनके पास ऋण लंबित नहीं था लेकिन ऋणी किसानों हेतु यह अनिवार्य था। वर्ष 2020 से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है।
 - **केंद्रीय सब्सिडी की सीमा:** कैबिनेट ने इस योजना के तहत असंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 30% और संचित क्षेत्रों/फसलों हेतु 25% तक की प्रीमियम दरों के लिये केंद्र की प्रीमियम सब्सिडी को सीमित करने का निर्णय लिया।
 - **राज्यों को अधिक लचीलापन:** सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को PMFBY को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर/सुवधियों का चयन करने का विकल्प दिया है।
 - **IEC गतिविधियों में नविश:** बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना पड़ता है।

PMFBY के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- **फसल बीमा एप:**
 - यह किसानों को आसान नामांकन सुविधा प्रदान करता है।
 - किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की सूचना देना आसान बनाना।
- **नवीनतम तकनीकी उपकरण:** फसल के नुकसान का आकलन करने के लिये उपग्रह इमेजरी, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है।
- **PMFBY पोर्टल:** भूमि अभिलेखों के एकीकरण हेतु।

योजना का प्रदर्शन:

- इस योजना में प्रतिवर्ष के अनुसार औसतन 5.5 करोड़ से अधिक किसान आवेदन शामिल हैं।
- आधार सीडिंग (इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से आधार को लॉक करना) ने किसानों के खातों में सीधे दावा निपटान में तेज़ी लाने में मदद की है।
- एक उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि राजस्थान में वर्ष 2019-20 में रबी सीज़न के दौरान टिड्डियों के हमले के कारण लगभग 30 करोड़ रुपए के मध्य-मौसम प्रतकूलता के दावे किये गए हैं।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस